[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 18 मार्च, 2015

सा.का.नि. (अ) - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 43 के खंड (क) के उपखंड (ii), धारा 54 की उपधारा (1) के उपखंड (घ), धारा 55 की उपधारा (2), धारा 56 की उपधारा (1), धारा 56 की उपधारा (3), धारा 62 की उपधारा (1), धारा 42 की उपधारा (2), धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (च), धारा 64 की उपधारा (1), धारा 67 की उपधारा (3) के खंड (ख), धारा 68 की उपधारा (2), धारा 68 की उपधारा (6), धारा 68 की उपधारा (9), धारा 68 की उपधारा (10), धारा 71 की उपधारा (3), धारा 71 की उपधारा (6), धारा 71 की उपधारा (13) और धारा 72 की उपधाराएं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, -
 - (1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "3. लागू होना इन नियमों के उपबंध निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होंगे-"
 - (क) सभी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां;
 - (ख) सभी प्राइवेट कंपनियां; और
 - (ग) सूचीबद्ध कंपनियां उस सीमा तक जहां ये नियम इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम का खंडन या विरोध नहीं करते हैं।
 - (2) नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) में,
 - (क) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;
 - (ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह कि" शब्द रखे जाएंगे;

- (ग) तीसरे परंतुक में "परंतु यह भी कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे;
- (3) नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (ग) में "पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "पैतालिस दिनों के भीतर" शब्द रखें जाएगें;
- (4) नियम 12 के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में "अथवा सहबद्ध कंपनी में" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (5) नियम 13 के उपनियम (1) में,-
 - (क) परंतुक में "परंतु" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित परंतुक के पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परंतु किसी कंपनी द्वारा एक या एकाधिक वर्तमान सदस्यों को ही कोई अधिमान प्रस्थापना करने के मामले में, कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 के उपनियम (3) के परंतुक की अपेक्षाएं लागू नहीं होगीं"

- (ख) वर्तमान परंतुक में, "परंतु यह कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे
- (6) नियम 18 में,
 - (क) उपनियम (1) में-
 - (अ) खंड (घ) के उपखंड (i) और (ii) को निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(i) कंपनी की कोई विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति; या
 - (ii) कोई विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति जहां उपयुक्त हो, या उसमें कोई हित में:

परंतु किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मामले में, उपखंड (i) के अधीन किसी जंगम संपत्ति पर प्रभार या गिरवी सृजित किया जा सकता है"

(आ) खंड (घ) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "परंतु यह और कि किसी सरकारी कंपनी जो केंद्रीय सरकार या एक या एकाधिक राज्य सरकार या दोनों द्वारा दी गई गारंटी द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत हो, द्वारा जारी किसी डिबेंचरों के निर्गम के मामले में इस उपनियम के अधीन प्रभार के सृजन के लिए अपेक्षा लागू नहीं होगी।"

परंतु यह भी कि किसी अनुषंगी कंपनी द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण के मामले में इस उपनियम के अधीन प्रभार या गिरवी होल्डिंग कंपनी की संप्तियों या अस्तियों पर भी सृजित की जा सकती है;

- (ख) उपनियम (5) में "डिबेंचरों के आबंटन के साठ दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "इश्यू या स्थापना के बंद होने के तीन मास के भीतर" शब्द रखें जाएंगे;
- (ग) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;-
 - "(9) इस नियम में इस नियम में अतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी किसी कंपनी द्वारा कोई वाणिज्यिक कागज-पत्र जारी करके या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों या अधिसूचनाओं के अनुसार जारी किसी अन्य समान लिखत के विरूद्ध प्राप्त किसी रकम पर लागू नहीं होगी।
 - (10) विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपाकार रसीद प्रणाली के माध्यम) स्कीम, 1993 या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों या मार्गदर्शक सिद्दांत के अनुसार जारी विदेशी करेंसी संपरिवर्तन बंधपत्र या विदेशी करेंसी बंधपत्र के किसी प्रस्ताव के मामले में इस नियम की अपेक्षाएं लागू नहीं जब तक कि ऐसे स्कीम या विनियम या मार्गनिर्देश में अन्यता उपबंधित न हो।"
- (7) नियम 19 के उपनियम (11) में "प्ररूप सं. एसएच-14" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप एसएच-13" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
- (8) अनुलग्नक में प्ररूप सं. "एसएच-13" और "एसएच-14" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

प्ररूप सं. एसएच-13 नामनिर्देशन प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसरण में]

सेवा में,	
कंपनी का नाम:	
कंपनी का पताः	
मैं/हम नीचे दिए गए विशिष्टियों वाले प्रतिभूति करने के इच्छुक हैं और निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशन करते हैं, स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे। (1) प्रतिभूतियों का विवरण (जिनके संबंध में नामनिर्देशन किया जा रह	जिनमें मेरे/हमारे मृत्यु की

प्रतिभूतियों	की	फोलियो संख्या	प्रतिभूतियों	की	प्रमाण	पत्र	विशिष्ट संख्या
स्वरूप			संख्या		संख्या		

- (2) नामनिर्देशिती/नामनिर्देशितियों की विशिष्टियां -
 - (क) नाम:
 - (ख) जन्मतिथिः
 - (ग) पिता/माता/पति/पत्नी:
 - (घ) व्यवसाय:
 - (ङ) राष्ट्रीयताः
 - (च) पताः
 - (छ) ई-मेल पताः
 - (ज) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:
- (3) यदि नामनिर्देशिती अव्यस्क है -
 - (क) जन्मतिथिः
 - (ख) व्यस्कता प्राप्त करने की तारीख:
 - (ग) संरक्षक का नाम:

- (घ) संरक्षक का पता:
- (4) अल्पट्यस्क नामनिर्देशिती के व्यस्कता आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु के मामले में नामनिर्देशिती की विशिष्टियां
 - (क) नाम:
 - (ख) जन्मतिथि:
 - (ग) पिता/माता/पति/पत्नी:
 - (घ) व्यवसाय:
 - (ङ) राष्ट्रीयताः
 - (च) पताः
 - (छ) ई-मेल पता:
 - (ज) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:
 - (झ) अल्पव्यस्क नामनिर्देशिती के साथ संबंध:

नाम:

पताः

प्रतिभृति धारक का नाम

हस्ताक्षर

साक्षी का नाम और पता

प्ररूप सं. एसएच-14

नामनिर्देशन रद्द या परिवर्तित करना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 की उपधारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के नियम 19(9) के अनुसरण में]

कपन	ो का	नाम:-

मै/हम	एतदद्	त्रारा	नीचे	उल्लि	गखित	प्रति	तेभूति	यों	के	संबंध	में	मेरे/हम	ारे द्	वारा .			
(नामनि	र्देशिती	का	नाम	और	पता)	के	पक्ष	में	किए	र गए	3 ि	लखित	नीचे	प्रतिभृ	्रतियों	की	वाबत
नामनि	र्देशन (न	नामवि	नेर्देशन	ों) को	रद्द व	रता	हूं/क	रते	岩1								

अथवा

मैं/हम एतदद्वारा नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध मेंके स्थान पर निम्निलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं/करते हैं, जिसे मेरी/हमारी मृत्यु होने पर ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित किए जाएंगे।

(1) प्रतिभूतियों की विशिष्टियां (जिसके संबंध में नामनिर्देशन रद्द/ परिवर्तित किया जा रहा है)

प्रतिभूति का	फोलिओ सं.	प्रतिभूतियों की	प्रमाण-पत्र सं.	विशिष्ट संख्या
प्रकार	¥	संख्या		

- (2) (क) नए निर्देशिती व्यक्ति की विशिष्टियां :

 - (ii) जन्मतिथि:-
 - (iii) पिता/माता/पति/पत्नी का नाम:-
 - (iv) राष्ट्रीयता:-
 - (v) पता:-
 - (vi) ई-मेल पता:-
 - (vii) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:-

- (ख) यदि नया नामनिर्दिशिती अवयस्क है तो:-
 - (i) जन्मदिन:-
 - (ii) व्यस्क होने की तारीख:-
 - (iii) संरक्षक का नाम:-
 - (iv) संरक्षक क पता :-
- (3) <u>यदि अवयस्क नामनिर्देशिती की प्राप्तवय पहले मृत्यु हो जाए के मामले में, निर्देशिती व्यक्ति की</u> विशिष्टियां -
 - (क) जन्मतिथि:-
 - (ख) पिता/माता/पति/पत्नी का नाम:-
 - (ग) व्यवसाय:-
 - (घ) राष्ट्रीयता:-
 - (ङ) पता:-
 - (च) ई-मेल पता:-
 - (छ) प्रतिभूति धारक के साथ संबंधः (i) अव्यस्क निर्देशिती के साथ संबंधः-

हस्ताक्षर

प्रतिभूति धारक (धारकों) का/के नाम

नाम और पता सहित साक्षी

[फा. सं. 1/4/2013-सीएल-٧(भाग-1)]

अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 265(अ) तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि.सं. 413(अ) तारीख 18 जून, 2014 के द्वारा उसमें संशोधित किया गया।

olc

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Deini, Dated 18th March, 2015
G.S.R(E).— In exercise of the powers conferred under sub-clause (ii) of
clause (a) of section 43, sub-clause (d) of sub-section (1) of section 54, sub-
section (2) of section 55, sub-section (1) of section 56, sub-section (3) of section
56, sub-section (1) of section 62, sub-section (2) of section 42, clause (f) of sub-
section (2) of section 63, sub-section (1) of section 64, clause (b) of sub-section
(3) of section 67, sub-section (2) of section 68, sub-section (6) of section 68,
sub-section (9) of section 68, sub-section (10) of section 68, sub-section (3) of
section 71, sub-section (6) of section 71, sub-section (13) of section 71 and
sub-sections (1) and (2) of section 72, read with sub-sections (1) and (2) of
section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government
hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share
Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014,-
- (1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

- 3. Application.- The provisions of these rules shall apply to -
- (a) all unlisted public companies;
- (b) all private companies; and
- (c) listed companies so far as they do not contradict or conflict with any other regulation framed in this regard by the Securities and Exchange Board of India;
- (2) in rule 5, in sub-rule (3), in clause (b),
- (a) the first proviso shall be omitted;
- (b) in the second proviso for the words "provided further that", the words "provided that" shall be substituted;
- (C) in the third proviso for the words "provided also that" the words "provided further that" shall be substituted;
- (3) in rule 6, in sub-rule (2), in clause (c), for the words "within fifteen days", the words "within forty-five days" shall be substituted;
- (4) in rule 12, in sub-rule (1), in the Explanation, in clause (c), the words "or of an associate company" shall be omitted;
- (5) in rule 13, in sub-rule (1), -
- (a) in the proviso, for the words "provided that" the words "provided further that" shall be substituted and before the proviso as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of any preferential offer made by a company to one or more existing members only, the provisions of sub-rule (1) and proviso to sub-rule (3) of rule 14 of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 shall not apply."

- (6) in rule 18,-
- (a) in sub-rule (1) -
- (A) in clause (d), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-
 - "(i) any specific movable property of the company; or
 - (ii) any specific immovable property wherever situate, or any interest therein:

Provided that in case of a non-banking financial company, the charge or mortgage under sub-clause (i) may be created on any movable property"

(B) in clause (d), after sub-clause (ii), following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in case of any issue of debentures by a Government company which is fully secured by the guarantee given by the Central Government or one or more State Government or by both, the requirement for creation of charge under this sub-rule shall not apply."

Provided also that in case of any loan taken by a subsidiary company from any bank or financial institution the charge or mortgage under this sub-rule may also be created on the properties or assets of the holding company;

(b) in sub-rule (5), for the words "within sixty days of allotment of debentures", the words "within three months of closure of the issue or offer" shall be substituted;

- (c) after sub-rule (8), following sub-rules shall be inserted, namely:-
 - "(9) Nothing contained in this rule shall apply to any amount received by a company against issue of commercial paper or any other similar instrument issued in accordance with the guidelines or regulations or notification issued by the Reserve Bank of India.
 - (10) In case of any offer of foreign currency convertible bonds or foreign currency bonds issued in accordance with the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 or regulations or directions issued by the Reserve Bank of India, the provisions of this rule shall not apply unless otherwise provided in such Scheme or regulations or directions."
- (7) in rule 19, in sub-rule (11), for the word, letters and figures "Form No. SH-14", the word, letters and figures "Form SH-13" shall be substituted.
- (8) in the Annexure, for "Form SH-13" and "Form SH-14", the following Forms shall respectively, be substituted, namely:-

Form No. SH-13

Nomination Form

[Pursuant to section 72 of the Companies Act, 2013 and rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014]

Name of the company Address of the co	pany: mpany:			
are given hereund in whom shall ves	er wish to make r	nomination and do her	reby nominate the frities in the event of	following persons f my/our death.
Nature of	Folio No	No. of securities		
securities	101101110	No. of securities	Certificate No	Distinctive No.
(2) PARTICULAR(a) Name:(b) Date of Birth:	S OF NOMINE	E/S —		
(c) Father's/Mother	r's/Spouse's nam	ne:		
(d) Occupation:				
(e) Nationality:				
(f) Address:				
(g) E-mail id:				
(h) Relationship wi	th the security ho	older:		
3) IN CASE NOM	INEE IS A MINO	OR		

(a) Date of birth:
(b) Date of attaining majority
(c) Name of guardian:
(d) Address of guardian:
(4) PARTICULARS OF NOMINEE IN CASE MINOR NOMINEE DIES BEFORE ATTAINING AGE OF MAJORITY
(a) Name:
(b) Date of Birth:
(c) Father's/Mother's/Spouse's name:
(d) Occupation:
(e) Nationality:
(f) Address:
(g) E-mail id:
(h) Relationship with the security holder:(i) Relationship with the minor nominee
N.
Name:
Address:
Name of the Security Signature Witness with name and address

Form No. SH-14 Cancellation or Variation of Nomination

[Pursuant to sub-section (3) of section 72 of the Companies Act, 2013 and rule 19(9) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 20141

	Companies (Sh	nare Capital and Debe	entures) Rules 2014	1					
Name of the cor									
I/We hereby cancel the nomination(s) made by me/us in favor of									
Nature of securities	Folio No	No. of securities	Certificate No	Distinctive No.					
(2) (a) PARTICULARS OF THE NEW NOMINEE: i. Name: ii. Date of Birth: iii. Father's/Mother's/Spouse's name: iv. Nationality: v. Address: vi. E-mail id: vii. Relationship with the Security holder:									
(b) IN CASE NEW	NOMINEE IS A MINO	PR							
i. Date of Birth: ii. Date of attaining iii. Name of guardia	M. C.								

IV. Address of guardian:		
The state of guardian.		
(3) PARTCIULARS OF NOMINEE IN CASE MI ATTAINING AGE OF MAJORITY	INOR NOMINEE DIES	S BEFORE
(a) Name:		
(b) Date of Birth:		
(c) Father's/Mother's/Spouse's name:		
(d) Occupation:		
(e) Nationality:		
(f) Address:		
(g) E-mail id:		
(h) Relationship with the security holder:(i) Relationship v	with the minor nominee	
Signature		
Name of the Security		
Holder (s)		
Witness with name and address		

[F. No. 1/4/2013-CL-V (Pt I)]

Amardeep S. Bhatia

(Joint Secretary)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide number GSR 265(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended vide GSR Number 413(E) dated 18th June, 2014.